राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 11(4)तशि/2001 पार्ट   जयपुर, दिनांक 10.02.2022

प्राचार्य,
अभियांत्रिकी महाविद्यालय,
अजमेर/भरतपुर/महिला अजमेर/झालावाड़/एमएलवीटीई, भीलवाड़ा।

विषय :– टेक्यूप–III परियोजना 31 मार्च, 2022 तक पूर्व में कार्यरत टेक्यूप फेकल्टी के माध्यम से जारी रखने हेतु।

संदर्भ :– प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के पत्र क्रमांक 2319 दिनांक 31.01.2022, प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर के पत्र क्रमांक 1484 दिनांक 31.01.2022, प्राचार्य, महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के पत्र क्रमांक 1171 दिनांक 02.02.2022 प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़ के पत्र क्रमांक 815 दिनांक 01.02.2022 एवं प्राचार्य, एमएलवीटीई, भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक 3221 दिनांक 01.02.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि आपके द्वारा टेक्यूप–III परियोजना 31 मार्च, 2022 तक पूर्व में कार्यरत टेक्यूप फेकल्टी के माध्यम से जारी रखने हेतु जिन बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहा गया है उनके संबंध में निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है :–

1. पूर्व में कार्यरत टेक्यूप फैकल्टी से प्राचार्य द्वारा आवेदन लिया जावें तथा यह सुनिश्चित करे कि वो फैकल्टी जो आपके महाविद्यालय में पूर्व में कार्यरत रही है। टेक्यूप–III परियोजना के अर्न्तगत अन्तिम भुगतान की दरों पर इन्हें लिया जावें।
2. राज्य मद से संचालित होने वाली उक्त परियोजना का समस्त कार्य उक्त टेक्यूप फैकल्टी से करवाया जावें।
3. एकेडमिक/ऑपरेटिंग कॉस्ट के अर्न्तगत टेक्यूप–III परियोजना में अनुमत गतिविधियों को लोक उपानन में पारदर्शिता/अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, तत्संबंधी नियमों/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना की जावे एवं राज्य मद से संचालित होने वाली इस योजना के मार्फत अधिक से अधिक विद्यार्थियों/संस्थान को लाभ पहुँचाया जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

(डॉ. मनीष गुप्ता)
संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, त.शि. विभाग
2. निजी सचिव, शासन सचिव, त.शि. विभाग
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग को उनके आई डी क्रमांक 102200260 दिनांक 24.01.2022 के क्रम में।
4. प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाड़ा।
5. डीन, सीटीएई, उदयपुर।
6. प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर।
7. डीन, यूसीईटी, बीकानेर।
8. डीन, एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर।
9. डीन, यूडी, कोटा, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
10. डॉ. रेखारानी, सहआचार्य द्वारा निदेशक, सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, जयपुर को विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 03.02.2022 के क्रम में।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि.